अधिवक्ता। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया जिसे बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णीत करने हेतु प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। मुताबिक बहस प्रार्थी अधिवक्ता "ग्राम बिरड़ावास, पटवार हल्का बिरामी, भू. अ. नि. क्षेत्र काकेलाव तहसील कुड़ी भगतासनी के खेवट खतौनी संख्या नई 125 व पुरानी 53 तथा भू. अ. नि. ग्राम बिरामी पटवार हल्का बीरामी क्षेत्र काकेलाव तहसील कुड़ी भगतासनी की खेवट खतौनी संख्या नई 120 व पुरानी 268 में मूलवश प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता का नाम क्रमश दमाराम व दीपाराम पुत्र कुनाराम अंकित कर दिया है जिसे सही किया जाकर दल पतराम पुत्र पुनाराम अंकित किया जावे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कुड़ी भगतासनी को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित खेवट खतौनी में प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता का नाम दमाराम व दीपाराम पुत्र कुनाराम के स्थान पर दलपतराम पुत्र पुनाराम दर्ज करें तदनुसार आदेश की पालना हेतु तहसीलदार कुड़ी भगतासनी को तहरीर जारी हो पत्रावली